भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3566**

10.08.2026 को उत्तर के लिए

**महादेई नदी के मार्ग परिवर्तन का प्रभाव आकलन**

**3566. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महादेई नदी के प्रस्तावित डायवर्जन (मोड़ने) के बारे में कोई स्वतंत्र पर्यावरणीय, पारिस्थितिक या संचयी प्रभाव आकलन किया है या करवाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने वनों, जैव-विविधता, नदी की पारिस्थितिकी, भूजल, मुहाने पर खारेपन, गोवा में पेयजल की उपलब्धता और कर्नाटक के खानापुर और बेलगावी क्षेत्रों में वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिक गिरावट के जोखिम पर प्रस्तावित डायवर्जन के संभावित प्रभावों के बारे में पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिक समाज द्वारा उठाई गई समस्याओं की जाँच की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मांडवी नदी बेसिन पर प्रस्तावित डायवर्जन के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और खारे पानी का प्रवेश, मीठे पानी के जलभृत और गोवा में पेयजल की सुरक्षा क्या है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही, सरकार द्वारा महादेई नदी के किसी भी डायवर्जन की अनुमति देने से पहले प्रस्तावित या निदेशित बचाव के उपाय, संरक्षा उपाय और निगरानी तंत्र क्या हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) जलविद्युत बिजली उत्पादन तथा/अथवा प्रमुख या मध्यम सिंचाई घटकों से संबंधित नदी अपवर्तन परियोजनाओं के लिए, यथासंशोधित पर्यावरण (प्रभाव आकलन) अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के मद 1(ग) के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त अधिसूचना में नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित संभावित पर्यावरणीय प्रभावों, जैसे कि जैव विविधता की हानि, नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, वनों पर प्रभाव,

पर्यावरणीय प्रवाह, भूजल तथा जल गुणवत्ता पर प्रभाव आदि के मूल्यांकन एवं आकलन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अतः उक्त तथा किसी विशिष्ट/व्यक्तिगत परियोजना के संदर्भ में अन्य संबंधित कारकों का अध्ययन पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने का आधार बनता है।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, विस्तृत जांच और विचार-विमर्श के बाद परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के जैव विविधता, नदी पारिस्थितिकी, भूजल, मुहाना लवणता, वनों की कटाई का जोखिम, मरुस्थलीकरण, नदी बेसिन में नदी के नीचे की पानी की उपलब्धता आदि पर संभावित पर्यावरणीय प्रभावों सहित, परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त शमन उपायों का सुझाव देकर पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुदान के लिए परियोजना की सिफारिश करें। केवल इस तरह के विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और सामान्य और विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी जारी की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार को नदी बेसिनों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां संचयी प्रभाव आकलन और वहन क्षमता अध्ययन (सीआईए एंड सीसीएस) किया जाना आवश्यक है। जहां भी लागू हो, ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों को, संबंधित नदी बेसिन के भीतर पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुदान के लिए नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरण मूल्यांकन के दौरान विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसी परियोजनाएँ अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित हों, तो केंद्रीय जल आयोग तथा/अथवा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण से भी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। म्हादेई/मांडोवी नदी बेसिन के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अथवा विवरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, म्हादेई/मांडोवी नदी से संबंधित किसी भी नदी के अपवर्तन से संबंधित परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****